न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 77 / 2019

1 हरफुल सिंह पुत्र केशु उर्फ केशवराम जाति रैगर निवासी झुंझुनू हाल निवासी टेलीफोन ऑफिस के पास वार्ड नम्बर 25 बोली तहसील बोली जिला सवाई माधोपुर।

2 राधा पुत्री केशु उर्फ केशवराम स्त्री रामेश्वर जाति रैगर निवासी झुंझुनू हाल निवासी वार्ड नम्बर 19 रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 द्वारका प्रसाद पुत्र जगन्नाथ।
2 फतेहचन्द पुत्र जगन्नाथ।
3 महेन्द्र कुमार पुत्र जगन्नाथ।
4 मोतीलाल पुत्र जगन्नाथ।
5 विनोद कुमार पुत्र जगन्नाथ।
6 रतन पुत्र बसन्तलाल।
7 राजकुमार पुत्र बसन्तलाल।
8 रिषी पुत्र बसन्तलाल।
9 भंवरी स्त्री बसन्तलाल समस्त जाति कुम्हार रोड़ नम्बर 2 व 3 के बीच झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपील खिलाफ निर्णय दिनांक 03.02.1964 बअदालत उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू मुकदमा उनवानी जगन्नाथ बनाम केसुराम किस्म मुकदमा रेवेन्यु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 19(2) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 बाबत जमीन गत खसरा नम्बर 674 रकबा 4 बीघा पुख्ता वाके कस्बा झुंझुनू

उपस्थिति :

1. श्री राजेश पूनियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विजयपाल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

<u>–निर्णय–</u>

दिनांकः– 07.04.2021

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू द्वारा दावा संख्या 05/1964 मे पारित निर्णय दिनांक 03.02.1964 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। प्रस्तुत अपील धारा 5 मियाद अधिनियम के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। प्रकरण में उभयपक्ष को धारा 5 मियाद अधिनियम पर सुना गया।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्टस् के पूर्वज जगन्नाथ ने अपीलान्टस् के पिता के विरूद्ध आराजी गत खसरा नम्बर 674 तादादी–4 बीघा पुख्ता तथा गत ख.नं. 678 तादादी–9 बीघा पुख्ता सरहद कस्बा झुन्झुनू के बाबत् विद्वान उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू की अदालत में दिनांक 29/01/1964 को एक आवेदन पत्र अ.धा. 19(2) आर.टी.एक्ट के तहत पेश किया। उक्त प्रार्थना पत्र में दिनांक 29/01/1964 को ही अपीलान्टस् के पिता की तरफ से जबाब दरख्वास्त पेश किया गया तथा

जबाब दरख्वास्त की पुश्त पर अपीलान्टस् के पिता की शिनाख्त अधिवक्ता द्वारा की गई है। रेस्पोडेन्टस के पूर्वज जगनाथ द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र को विद्वान उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू ने स्वीकार कर जमीन गत ख. नं. 674 व 678 सरहद कस्बा झुन्झुनू का खातेदार काश्तकार दफा 19 आर.टी. एक्ट के तहत जगनाथ घोषित किया गया। राजस्व रिकार्ड में उक्त निर्णय का अमल दरामद जगन्नाथ के नाम होना और उसके बाद उनके वारिसान के नाम दर्ज होना विवादित नही है। अपीलान्टस ने जमीन गत ख. नं. 674 तादादी–4 बीघा का विवाद कर यह अपील प्रस्तुत की है और निर्णय में उल्लेखित जमीन गत ख. नं. 678 का विवाद नही किया गया है। अपीलान्टस ने अपील के साथ दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिसका जबाब रेस्पोडेन्टस की तरफ प्रस्तुत हुआ है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि दफा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए कथन किया कि उन्हें निर्णय दिनांक 03/02/1964 की जानकारी दिनांक 30/08/2019 को पटवारी हल्का से ऋण लेने के लिए नकल लेने एवं दिनांक 11/09/2019 को निर्णय की नकल लेने पर हुई। इसके अलावा बहस के दौरान दफा 42 आर.टी.एक्ट 1955 का उल्लघंन होने का कथन किया। बहस के दौरान यह कथन भी किया कि इकबाली जबाब एवं राजीनामा के आधार पर अनुसुचित जाति के व्यक्ति की जमीन स्वर्ण जाति के व्यक्ति को नही दी जा सकती। वकील अपीलान्टस् ने दौराने बहस कथन किया कि निर्णय दिनांक 03/02/1964 अवैध व शुन्य है तथा यह कथन किया कि अवैध व शुन्य निर्णय को कभी भी चुनौती दी जा सकती है। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.डी. 2016 पेज 759, आर.आर.टी. 2008(2) पेज 1406, आर.आर.टी. 2013(1), पेज 426, आर.आर.डी. 1990 पेज 141, आर.एल.डब्ल्यू 2008(1) पेज 537 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि आर.टी. एक्ट 1955 के प्रभाव में आने के पहले से लेकर आज तक जगन्नाथ व रेस्पोडेन्टस का भौतिक कब्जा काश्त है और कथन किया कि काश्तकारी कानून प्रभाव में आया उस दिन जगन्नाथ का बतौर शिकमी काश्तकार कब्जा था और आर.टी. एक्ट 1955 लागु होने पर राजस्व रिकार्ड गलत बना इसी कारण दफा 19 आर.टी.एक्ट 1955 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। विचाराधीन निर्णय व मौके पर भौतिक कब्जे की जानकारी सदैव अपीलान्टस को रही है। इस प्रकरण में दफा 42 आर.टी.एक्ट 1955 के प्रावधान लागु नही होते है। अपीलान्टस ने प्रार्थनापत्र स्वच्छ हाथो से पेश नही किया है और इसी कारण अपीलान्टस ने प्रकरण में कहीं भी अपनी उम्र व पिता की मृत्यु होने की स्थिति स्पष्ट नही की है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने के रोज अपीलान्टस के पिता विवादित जमीन के टिनेन्ट थे और जगन्नाथ शिकमी काश्तकार था लगान अपीलान्टस के पिता को शिकमी काश्तकार जगन्नाथ अदा करता रहा है। जगन्नाथ द्वारा प्रस्तुत जबाब प्रार्थना पत्र में अपीलान्टस् के पिता ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि जगन्नाथ करीब 12–13 वर्ष से बहैसियत शिकमी काश्तकार काबिज काश्त है और 15 रू0 सालाना लगान अदा किया जाना अपीलान्ट के पिता ने स्वीकार किया है। अपीलान्ट झुन्झुनू जिले में निवासरत नही है और भूमाफियाओं के बहकावे में आकर रकम हड़पने के उदेश्य से प्रार्थना पत्र पेश किया है। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर.बी.जे. 2014 पेज 472, आर.आर.टी. 2015(1) पेज 232, डी.एन.जे. 2018 (2) पेज 401, आर.आर.टी. 2014(2) पेज 1379, आर.आर.टी. 2009 (1) पेज 177 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर अपील धारा 5 पर खारिज करने का निवेदन किया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रकरण में अपीलान्टस रैगर जाति से है जो कि अनुसुचित जाति में शामिल है। रेस्पोडेन्ट कुम्हार जाति से है जो कि स्वर्ण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

जाति में शामिल है। अपीलान्टस ने अपनी उम्र व अपने पिता की मृत्यु की साल के तथ्य को छिपाया है। अपीलान्टस ने अपना हाल निवास स्थान झुन्झुनू के बाहर होना अपील में दर्ज पते में स्वीकार किया है। अपीलान्टस के अधिवक्ता ने उपरोक्त तथ्यों के संबंध में रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता के तर्को के खण्डन में भी अपीलांट की आयु व उसके पिता की मृत्यु की साल सम्वत नही बताई व कस्बा झुन्झुनू में कोई चल अचल सम्पति का अथवा निवास से संबंधित दस्तावेज भी प्रस्तुत नही किया है। उपरोक्त तथ्यों से रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता के इस तर्क को बल मिलता है कि विवादित आराजी पर अपीलान्टस का कब्जा काश्त नही है तथा ना रहा है। अपीलान्टस का यह कथन है कि दिनांक 30/08/2019 को बैक से ऋण लेने के लिए पटवारी हल्का से जमाबन्दी की नकल निकलवाई तब राजस्व रिकार्ड की जानकारी हुई। इस सन्दर्भ मे भी अपीलान्टस के कथन विश्वसनीय प्रकट नही होते है। अपीलान्ट की उम्र बहुत अधिक होना प्रकट होता है क्योंकि अपीलान्टस के पिता द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र की पुश्त पर उम्र 32 वर्ष लिखी हुई है और जगन्नाथ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में भी अपीलान्टस के पिता केशुराम की उम्र 32 वर्ष दर्ज है। इससे यह स्पष्ट होता है कि अपील प्रस्तुत की गई उसी वक्त अपीलान्टस बालिग हुये हो यह संभव नही है और सन् 2019 में ही अपीलान्टस को ऋण लेने की आवश्यकता हुई हो तथा उससे पहले ऋण लेने की आवश्यकता हुई हो यह संभव भी नही है। इस प्रकार अपीलान्टस का यह कथन कि दिनांक 30/08/2019 को बैंक से ऋण लेने के लिए पटवारी हल्का से जमाबन्दी की नकल निकलवाई तब रिकार्ड की जानकारी हुई हो यह कथन विश्वसनीय प्रतीत नही होता है।

यहां यह भी विचारणीय है कि अपीलान्टस ने यह अपील निर्णय के करीब 55 वर्ष बाद पेश की है और इसी कारण यह प्रतीत होता है अपीलान्टस ने अपने पिता की मृत्यु के साल सम्वत को दर्ज नही किया और उक्त तथ्य को जानबुझकर छिपाया है। प्रकरण में धारा 42 आर.टी.एक्ट 1955 के प्रावधान

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

लागु नही होते है। धारा 42 आर.टी.एक्ट 1955 **Sale, Gift and Bequest** के लिए लागु होता है। प्रकरण में कोई विक्रय, दान व वसियत का बिन्दु अर्न्तवलित नही है। वकील अपीलान्ट द्वारा दफा 42 आर.टी.एक्ट 1955 के संबंध में प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों के तथ्य भिन्न होने से इस प्रकरण में चस्पा नही होते। अपीलान्ट के पिता द्वारा उपखण्ड अधिकारी के यहां जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया जाना और जबाब प्रार्थना पत्र पर अपीलान्ट के पिता के हस्ताक्षर फर्जी हो उक्त तथ्य भी विश्वसनीय प्रकट नही होते है क्योंकि जबाब प्रार्थना पत्र की पुश्त पर अपीलान्ट के पिता की शिनाख्त जरिये वकील की गई है और तत्कालीन पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर है जबकि जबाब प्रार्थना पत्र की पुश्त पर लिखा है कि जबाब दरख्वास्त को सुनकर सही होना तस्दीक किया गया है इससे यह स्पष्ट है कि तत्कालीन पीठासीन अधिकारी ने अपीलान्टस के पिता को जबाब प्रार्थना पत्र पढकर सुनाया जिसे उसने स्वीकार किया और इस बाबत् हस्ताक्षर हुए। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट के पिता ने स्वंय से जगन्नाथ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जबाब उपस्थित होकर पेश किया है और ऐसी स्थिति में अपीलान्टस अपने पिता की स्वीकृति से पाबन्द है मुकर नही सकते। ऐसी स्थिति में प्रकरण में धारा 42 आर.टी.एक्ट 1955 के प्रावधानों का उल्लघंन हुआ होना प्रकट नही होता है। इस सन्दर्भ में विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आर. आर.टी. 2009 (1) पेज 177 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्वान्त पूर्णतया लागु होते है। इसमें अभिनिर्धारित किया गया है कि" **Rajasthan Tenancy Act, 1955 - Sec.42- Transfer of land in favout of member of non S.C./S.T.- Land transferred in 1958 & provision of Sec. 42 incorporated in 1964- No retrospective effect given - Held, Provisions of Sec. 42 would not apply& transfer is valid & transferee cannot be deprived from the property.**

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

जहां तक धारा 19 आर.टी.एक्ट 1955 का प्रश्न है तो उसके संबंध में अपीलांट के पिता ने जबाब दरख्वास्त दिनांकित 29/01/1964 में यह दर्ज किया है कि जगन्नाथ अर्सा 12–13 वर्ष से बहैसियत शिकमी काश्तकार काश्त करता आ रहा है और 15 रू0 सालाना लगान अदा करता है। इस प्रकार अर्सा 12–13 साल का अर्थ यह हुआ कि जगन्नाथ सन् 1951–1952 से बतौर शिकमी काश्तकार काबिज है। जहां तक अपीलान्ट के पिता का यह कथन है कि जगन्नाथ दिनांक 15/10/1955 को आर.टी.एक्ट 1955 लागु होने के दिन उपकृषक दर्ज नही था और विद्वान उपखण्ड अधिकारी ने नामान्तरण संख्या 747 को विवेचित नही किया इस संबंध में अपील के साथ प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि सम्वत 2012 में अर्थात 15/10/1955 को अपीलान्टस का पिता भी उपकृषक दर्ज नही था और नामान्तरण 747 में खुद काश्त ठिकाना बिसाउ और उपकृषक केशु पुत्र माधो रेगर दर्ज है। जमाबन्दी संवत 2012 से 2015 के मुताबिक विवादित जमीन ठिकाना बिसाउ की होना स्वीकृत तथ्य है और तत्कालिन कानून के मुताबिक ठिकानेदार की हैसियत भूमिधारी की होती थी। ऐसी स्थिति में अपीलान्टस के पिता को उपकृषक होने का तथ्य स्वीकार किये जाने योग्य नही है। अपीलान्टस का पिता भी इस तथ्य को स्वीकार करता है कि उसकी हैसियत टिनेन्ट की थी और जगन्नाथ शिकमी काश्तकार था। विधि में यह भी व्यवस्था है कि पिता के कथन के विरोधाभाषी कथन करने का हक संतान को नही है। जबाब दरख्वास्त में अपीलान्टस के पिता ने शिकमी काश्त का अर्सा एवं लगान के तथ्य को भी स्पष्ट किया है। इसके अलावा तहसीलदार से रिपोर्ट ली जाना भी प्रकट होता है। जहां तक हस्तान्तरण का प्रश्न है प्रस्तुत प्रकरण में ऐसा कोई तथ्य नही है कि स्वर्ण जाति के पक्ष में भूमि का अन्तरण हुआ हो फिर भी इस संबंध में निर्णय 03/02/1964 का है और धारा 42 आर.टी.एक्ट. 1955 के गजट में प्रकाशन इस संबंध में 01/05/1964 को हुआ। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने आर.आर.टी 2009 (I) पृष्ठ संख्या

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

177 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि धारा 42 के प्रावधान जब 01/05/1964 को प्रभाव में आये और उससे पहले अनुसुचित जाति के व्यक्ति की भूमि का गैर अनुसुचित जाति के व्यक्ति के पक्ष में अन्तरण हो गया तो वह अवैधानिक नही है तथा यह सिद्धान्त भी प्रतिपादित किया गया है कि उपरोक्त प्रावधान भूतलक्षी नही है। इसी प्रकार 2014 (2) आर.आर.टी 1379 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने रामकरण बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान के केस में अभिनिर्धारित किया गया है कि" **Rajasthan Tenancy Act, 1955-Sec. 42 proviso & 175- Transfer of land of SC/ST- Sale deed executed on 12.1.1962& mutation attested on 10.9.1963- Tehsildar filed an application for ejectment after 31 years of sale - Vendee are in possession of the land prior to 12.1.1962 & cultivating the land- BOR allowed the reference filed u/Sec. 82- Suit filed after expiry of limitation & rightly dismissed by the addl. collector- Held, Judgment passed by the High Courts are set aside.**

दफा 42 आर.टी.एक्ट 1955 के उल्लघंन होने पर भी धारा 175 आर.टी. एक्ट की कार्यवाही के लिये अगर 30 साल के अन्दर कार्यवाही नही की जाती है तो प्रकरण नही चल सकता। विधि में यह व्यवस्था है कि मियाद अधिनियम के प्रावधान औपचारिकता मात्र नही है और उपरोक्त सिद्धान्त माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने 2015 (1) आर.आर.टी पृष्ठ 232 में प्रकाशित निर्णय में प्रतिपादित किया है। प्रकरण में दफा 42 आर.टी. एक्ट 1955 के प्रावधानों का उल्लघंन नही है और ऐसी स्थिति में निर्णय को अवैध व शुन्य नही माना जा सकता है एवं मियाद अधिनियम के प्रावधान लागु होगें। अपीलान्टस की तरफ से अपील को देरी से प्रस्तुत करने के संतोषजनक दिन प्रतिदिन का स्पष्टीकरण नही दिया है और अपीलान्टस ने अपनी उम्र व अपने पिता की मृत्यु की साल सम्वत को छिपाकर करीब 55 वर्ष के अत्यधिक समय के बाद यह अपील प्रस्तुत की है। अपीलान्टस ने अपने पिता की मृत्यु के बाद

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

विरासतन नामान्तरण कार्यवाही के लिये क्या किया तथा विरासतन नामान्तरण क्यों नही करवाया इत्यादि तथ्य भी अपनी अपील के मेमो मे व संलग्न दफा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में भी स्पष्ट नही किये है। विचाराधीन निर्णय के पश्चात अपीलांट ने कब्जे से संबंधित दस्तावेज पत्रावली पर पेश नही हुआ है। स्पष्ट है कि अपीलान्टस ने यह अपील स्वच्छ हाथ से पेश नही की है और अविश्वसनीय तथ्य दर्ज कर अत्यधिक समय गुजरने के बाद यह अपील बिना कब्जे के प्रस्तुत की है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील मियाद बाहर होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार योग्य नही होने से खारिज किया जाता है एवं अपील अपीलांट मियाद बाहर होने से इसी स्तर पर खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 07.04.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर